



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062025-263727
CG-DL-E-11062025-263727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947

No. 336]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTHA 21, 1947

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

सा.का.नि. 379(अ).— रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम 1975 (1975 का 22) की धारा (5) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामित, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड में निम्नलिखित तीन व्यक्तियों के नामांकन को अधिसूचित करती है:-

- (1) डॉ. ज्योतिष जोशी, डी-4/37, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110089
- (2) प्रो. रजनीश कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067
- (3) प्रो. मनीष, प्रोफेसर और डीन, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-29, गांधीनगर, गुजरात-382030

उपरोक्त नामित सदस्यों का कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 05 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

[फा. सं. एल-36/2/2018-पुस्त.]

संजय कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2025

G.S.R. 379(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section (5) of the Rampur Raza Library Act, 1975 (22 of 1975), the Central Government, hereby notifies the nominations of the following three persons, nominated by the State Government of Uttar Pradesh under clause (h) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, to the Rampur Raza Library Board: -

- (1) Dr. Jyotish Joshi, D-4/37, Sector-15, Rohini, Delhi-110089.
- (2) Prof. Rajnish Kumar Mishra, Professor, School of Sanskrit and Indic Studies, Jawahar Lal Nehru University, New Delhi-110067.
- (3) Prof. Manish, Professor & Dean, School of International Studies, Central University of Gujarat, Sector-29, Gandhinagar, Gujarat-382030.

Term of office of the nominated members above shall be a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. L-36/2/2018-LIB.]

SANJAY KAUL, Jt. Secy.